12

कॉर्पोरल पनिशमेंट एक विद्यालयी विमर्श

सच्चिदानंद सिंह*

तमाम कानूनों के होते हुए भी शारिरिक दंड का प्रचलन विद्यालयों में कम नहीं हुआ है। हाल की घटनाएँ इन कानूनों की विफलता को सिद्ध करती हैं। दंड के सभी रूपों, जैसे— शारीरिक दंड, व्यंग्यात्मक भाषा व नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में लोगों में स्पष्टता की कमी महसूस की जाती है। अनुशासन कायम करने के नाम पर कॉर्पोरल पनिशमेंट विद्यालय में कई रूपों में प्रस्तुत होती रहती है और इसे कक्षा में चुप रहने से जोड़कर देखा जाता है। अतः अनुशासनिक कृत्यों की संकल्पना में और स्पष्टता ज़रूरी है। साथ ही, इसके अत्यधिक नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए दंड को किसी भी स्थिति और रूप में मान्यता न मिले। इस संदर्भ में विद्यार्थी, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों से व्यापक चर्चा के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि विद्यार्थी, शिक्षक सहित इस व्यवस्था के सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर रणनीति तय करने की आवश्यकता है। इतना तो स्पष्ट है कि केवल शिक्षकों को ज़िम्मेवार ठहराने से स्थिति नहीं सुधरने वाली।

© NCERT not to be republished

भाषा की कक्षा ख़त्म कर मैं शिक्षक प्रकोष्ठ में पहुँचा ही था कि विद्यालय की अनुशासन प्रभारी ने कहा, “आपकी कक्षा बहुत ही अनुशासनहीन थी।” मैंने पूछा, “क्यों, मैं तो बच्चों से कहानी पर बातचीत कर रहा था।” मेरी इस बात से उनकी माथे पर की रेखाएँ और तन गईं। “आपकी कक्षा से बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही थी। पिनड्रॉप साइलेंस का अभाव था, कक्षा बिल्कुल ही अनियंत्रित लग रही थी।” मैंने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखूँगा। वह अजीब सा चेहरा बनाये हुए वहाँ से चली गईं। इस वाक्या का वहाँ उपस्थित अन्य सहकर्मियों के चेहरे पर प्रतिक्रिया जाने बिना मैं गहरी सोच में पड़ गया। एक ही बार में टैगोर, ड्यूई, फ़्रेरे और न जाने कितनों की बातें मन में कौंधने लगी।

अनुशासन के संदर्भ में फ़्रेरे की यह बात ध्यान दिलाना ज़रूरी समझता हूँ जिसमें वे अनुशासन की संकल्पना पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है पर बात करते हैं। अनुशासन मात्र यही नहीं है, जिसमें बच्चे कक्षा में इस तरह चुपचाप बैठें कि अध्यापक को अपनी बात कहने में कोई परेशानी न हो। अनुशासन वास्तव में उस कक्षा के रूप में भी हो सकता है जिसमें बच्चे खूब शोर शराबा करते हुए सीखने की प्रक्रिया में सहभागी हों। साथ ही, पाठ्यपुस्तक के अलावा बाहर के मुद्दों को भी कक्षा में ला रहे हों (फ़्रेरे 1996)।

अनुशासन के संदर्भ में कई प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रशासन से राय जानने की कोशिश

* *पीजीटी*, साधुलाल पृथ्वीचंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छपरा, सरन, बिहार

की गई तो वे इसे विद्यालय की व्यवस्था से जोड़ कर देखते हैं। कोई-कोई विद्यालय इस व्यवस्था के नियंत्रण का इतना आग्रही हो जाता है कि अनुशासन को समाज की अपेक्षा से जोड़ते हुए इसे लोकमंगलकारी समाज कायम करने के तत्त्व रूप में साबित करता है। इस अनुशासन में बच्चों के मन में एवं अभिभावकों को उनके बच्चे के प्रति विश्वास दिलाया जाता है कि यह उनके भविष्य निर्माण की अहम कुंजी है। इस अनुशासन को बनाए रखने का दबाव कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि कब यह कॉर्पोरल पनिशमेंट (corporal punishment) का रूप अख्तियार कर लेता है, पता ही नहीं चलता। हम विद्यालय में अनुशासन कायम करने की आड़ में वैकल्पिक रूप में कॉर्पोरल पनिशमेंट का इस्तेमाल होता देख सकते हैं। विद्यालय में कुछ शिक्षकों की पहचान भी इसी रूप में व्याख्यायित होती है। उनके बारे में लगभग पूरे विद्यालय की प्रतिक्रिया होती है कि 'फलाँ मास्टर की कक्षा देखो, मजाल है किसी बच्चे में की वह चूँ–चाँ भी करें।' पूरे विद्यालय में ऐसे मास्टर की खौफ़ गूँजती है। मुझे अपनी सातवीं कक्षा का वह कालांश आज भी याद है जब किसी एक बच्चे के शोर की सजा पूरी कक्षा के साथ मुझे भी भुगतनी पड़ी थी। मात्र एक ही बेंत मेरे हाथ पर इतनी ताकत लगाकर मारी गई थी कि आज भी सोच कर देह सिहर उठता है। उस शिक्षक की मेरे समाज में इतना धाक थी कि मेरी यह हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी शिकायत लेकर घर आता। ऐसा न करने का कारण था— मेरे स्वर्णिम भविष्य को ढालने के लिए मेरे अभिभावकों द्वारा मानो उनको ऐसे ख़ुराक देने के लिए अधिकृत किया गया हो। बरबस ही नागार्जुन की 'मास्टर!' कविता की अग्रलिखित चंद पंक्तियाँ याद हो आती हैं—

"बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट में पाँच तमाचे
दुखरन मास्टर गढ़ते हैं किसी तरह आदम के साँचे"

(राजेश जोशी. नागार्जुन रचना संचयन, पृ.116)

सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अभिभावक से बच्चों के अनुशासन बिगाड़ने की शिकायत पर बच्चों पर दो तरफा मार पड़ती है। परंतु इसी में जो अभिभावक जागरूक हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट के कुप्रभाव से परिचित हैं शिक्षकों के ऐसे कृत्य पर क्रोधित होते हैं। अनुशासन का यह रूप बहुपरती रूपों में कमोबेश हरेक विद्यालयों में पाया जाता हैं। अधिकांश मामले में इसे बच्चों के भविष्य की ख्वाब से बुनी नैतिकता की चादर से ढँक दिया जाता है। कहीं कोई मुद्दा जब अखबारों की सुर्खियाँ बनता है तब लोगों के बीच यह बहस का मुद्दा बनता है। ऐसे कितने भावात्मक और मानसिक यातना के मामले हैं जिसका लेखा-जोखा निकाल पाना आसान नहीं है। आश्चर्य तब होता है जब कई बच्चे स्कूल आना धीरे-धीरे बंद कर देते हैं।

बच्चों एवं शिक्षकों का नज़रिया

कई बच्चों से किस कारण से पिटाई लगती है यह जानने की कोशिश की गई। इस संबंध में कई अलग-अलग कारण निकल कर आए, जैसे— कक्षा पाँच की शिखा ने बताया, "ज़्यादातर पिटाई अनुशासन तोड़ने पर लगती है।" अनुशासन का मतलब क्या चुपचाप बैठना है। जावेद का अनुशासन के बारे में सोचना है कि कक्षा में चुपचाप बैठना और अच्छे काम करना ही अनुशासन है। उसकी यह सोच शायद अध्यापकीय सोच का ही परिणाम है। स्कूली व्यवस्था यदि बच्चों को बोलने का अवसर नहीं देती तो ऐसी व्यवस्था उत्पीड़नकारी व्यवस्था का रूप ले लेती है (फ्रेरे, 1973)। ऐसी उत्पीड़नकारी व्यवस्था में बच्चों

© NCERT not to be republished

के विकास की स्थितियाँ क्या होंगी यह सोचने की बात है।

कॉर्पोरल पनिशमेंट के ज़्यादातर सामान्य कारण होते हैं— अनुशासन लागू करना, गृहकार्य न करना, कक्षा में शरारत करना, ड्रेस ठीक से पहन कर न आने आदि। गृहकार्य स्कूली व्यवस्था का बहुत ज़रूरी अंग बन गया है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि गृहकार्य बच्चों पर एक अनावश्यक बोझ बन गया है जिसे वे अपने परिवार के साथ सहन करते हैं। कक्षा छः का ईशान कहता है— "हम गृहकार्य करके नहीं लाते हैं। तथा स्कूल में गलती से भी कुछ छूट जाता है तब पिटाई लगती है।" ज़्यादातर बच्चों ने अनुशासन तोड़ने व गृहकार्य करके न लाने को पिटाई का कारण बताया।

कक्षा सात की नेहा के मन में प्रतिक्रिया का भाव है और शायद अपने साथ हुए अन्याय का भी। वह कहती है, "एक दिन हमारी पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि हमने एक लड़के को मारा था क्योंकि वह हमें मार रहा था। मैडम ने उस लड़के को सजा क्यों नहीं दी?" बच्चे अपने साथ हुए व्यवहार को बहुत भीतरी मन तक लेते हैं। खासतौर पर जब उन्हें एकतरफा दोषी माना जा रहा हो। यह प्रतिक्रिया का भाव उन्हें या तो कुंठा से ग्रस्त कर देता है और या फिर विद्रोही बना देता है।

अकसर शिक्षकों के आपसी मतभेद में बच्चे प्रताड़ित हो जाते हैं। जैसे शशांक ने लिखा— "हम स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा के बच्चे हैं इसलिए प्रातः चेतना सत्र की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। एक दिन प्रार्थना के बाद छोटी कक्षा के बच्चे कहानी सुनाने लगे, जिससे लंबा समय खिंच जाने के कारण मेरी कक्षा के सारे बच्चे क्लास में चले गए। मैं जब तक पहुँचा मैडम कक्षा में आ चुकी थीं। हम जब कक्षा में आए तो मैडम ने सजा में मुझे खड़ा कर दिया। फिर हमसे कारण पूछा हमने कहा कि हम बच्चों को प्रार्थना करवा रहे थे हम आगे कुछ और कहते कि मैडम ने हमें सजा में पूरा एक घंटा खड़ा रखी, घंटी ख़त्म होने के बाद हमने माफी माँगा, हमें इस घटना से इतना दुःख हुआ कि हमे यह समझ नहीं आया कि हम किस टीचर का आदेश मानते।" दरअसल माफ़ी टीचर को माँगनी चाहिए थी। यह एक तरह का बच्चे के साथ अन्याय है। स्कूली व्यवस्था को इन प्रवृत्तियों से बचना होगा। न्यायपूर्ण व्यवस्था से ही स्कूल की संकल्पना सार्थक हो पाएगी।

चौथी कक्षा की सोनिया ने लिखा— "कक्षा में पिटाई अच्छा नहीं लगता, हमारे स्कूल का बॉथरूम अच्छा नहीं है।" सोनिया का यह वक्तव्य उसकी अरुचि को भी दिखाता है जो वह विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक वातावरण के प्रति महसूस करती है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं उनका विद्यालय से मोहभंग होने लगता है (बैरेट और बुकानन, 2005)। दरअसल ये स्थितियाँ विद्यालय की अवसंरचना में ही मौजूद हैं। शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न सिर्फ़ बच्चों के शरीर पर निशान तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह बच्चे के मन को भी चोट पहुँचाते हैं। बालपन में जिन बच्चों को बार- बार शारीरिक दंड दिया जाता है, किशोरावस्था में वे एकाकी व अलगाव का जीवन जीने लगते हैं। उनमें से कई अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं (मेक्कार्ड, 1995)। बच्चों ने बातचीत में अमन के बारे में बात की जिसने शारीरिक उत्पीड़न के कारण विद्यालय आना एक वर्ष पहले छोड़ दिया था। उनके

© NCERT not to be republished

अनुभव में रवि, सन्नी आदि जैसे कितने ही बच्चे थे जिन्होंने स्कूल आना धीरे-धीरे बंद कर दिया था।

इस तथ्य के बारे में फ़्रायड कहते हैं कि बचपन की अनेक घटनाएँ दमित या कुंठित रूप में अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और समय-समय पर व्यक्तित्व तथा विभिन्न कार्यशैलियों में अभिव्यक्त होती हैं (फ़्रायड, 1919)। एरिक्सन के अनुसार बचपन के प्रारंभिक कुछ साल वस्तुतः पूरे व्यक्तित्व की बुनियाद हैं। व्यक्तित्व आगे क्या स्वरूप लेगा, यह जीवन के आरंभिक वर्षों में ही तय हो जाता है (एरिक्सन, 1980)।

'बड़ों द्वारा समाज में किए गए आपसी व्यवहार की प्रतिलिपि बच्चे विद्यालय में करते हैं। जैसे बड़ों द्वारा प्यार, लगाव, दिखावा, हिंसा, निन्दापूर्ण भाषा प्रयोग सभी का बचपन पर भी प्रभाव पड़ता है'(कैथलीन 2016)। कक्षा नौ की माही कहती है, "जब हमेशा कोई मेरे बारे में बात करता है तो उसे गंभीर मानती हूँ। अगर वह आपकी मम्मी, बहन, शिक्षक या कोई मित्र हो। जो मेरी इच्छानुसार मेरी सहायता करना चाहता हो।"

कक्षा पाँच की छात्रा शिखा ने लिखा— "जब मैडम और सर मुझे प्यार करते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर वह जब बिना किसी बात के डाँटते हैं तो अच्छा नहीं लगता।" इसी तरह की बात साहिल ने भी लिखी— "मुझे अपने सर एवं मैडम तब अच्छे लगते हैं जब वह पाठ को चर्चा करके पढ़ाते हैं। खराब तब लगते हैं जब वह हमसे किसी दिन अच्छे से बात नहीं करते।" बच्चों का भावनात्मक लगाव अपने अध्यापकों से होता है। ऐसी स्थिति में अध्यापकीय व्यवहार उनकी अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है (बेडुरा, 1971)। इस अर्थ में बच्चे का परिवार, साथी समूह और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उसके अस्मिता निर्माण में बेहद अहम कारक है। इसी मौलिक बात को शिक्षा का अधिकार अधिनयिम, 2009 स्वीकार करता है। साथ ही, यह कहता है कि यदि विद्यालय का वातावरण भयमुक्त व बच्चे की मानवीय गरिमा को स्वीकार करने वाला हो तो यह एक अर्थ में बच्चे के भावी उन्नत भविष्य का निर्माण करने वाला होगा।

अनुशासन की संकल्पना पर जब मैंने शिक्षक-शिक्षिकाओं से बात की तो ज़्यादातर अनुशासन को व्यवस्था और भविष्य निर्माण से जोड़कर चल रहे थे। कुछ सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने जवाब दिया— "क्या करे एक कक्षा में बहुत से बच्चों को संभालना कठिन हो जाता है, इसलिए कठोर बनना पड़ता है।" कठोर बनकर गलती का अहसास कराना एक बात है और चोट पहुँचाना दूसरी बात। स्कूल में दंड के बारे में बात करते समय शारीरिक दंड के स्वरूप का ध्यान रखना ज़रूरी है। दंड क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे अध्यापक का उद्देश्य क्या है यह जानना आवश्यक है (स्ट्रॉस, 1994)।

बहुत से शिक्षकों का कहना था कि कक्षा में अधिक बच्चे, प्रशासन, अधिकारी वर्ग आदि का शिक्षण विधि पर दबाव पड़ता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* (एन.सी.एफ़.) लोकतंत्र और शिक्षा के आग्रह को लेकर आई है। एक तरफ विद्यार्थियों को मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण में गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहन अपेक्षित है परंतु दूसरी तरफ कक्षा में अनुपात से ज़्यादा बच्चों का नामांकन इस अपेक्षा में

बाधक है। एक ही कक्षा में बहुकक्षा व एकल शिक्षक होने के कारण तमाम तरह की परेशानियाँ उपस्थित होने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन शिक्षकों से भय मुक्त कक्षा के लिए शिक्षकों से लिखित शपथ लेती है, परंतु शिक्षकों के साथ कोई समस्या उत्पन्न होने पर जवाबदेही भी नहीं लेती।

कई समाजों में शिक्षक और शिक्षा के संदर्भ में यह तथाकथित सोच बन गई है कि जो जीवन में कुछ नहीं करता वह शिक्षक बनता है। साथ ही, लोगों का शिक्षक के प्रति वृत्तिक कौशल नज़रिए से परे एक पालक (caring) की भूमिका में देखना भी समस्या खड़ी करता है। कई बार सैद्धांतिक रूप से शिक्षकों की परिकल्पना बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हुए उनसे ऊँची अपेक्षा रखा जाता है। दूसरी तरफ़ उसी समाज, मीडिया, सरकार द्वारा इनके विद्रूप चित्र खींचने की कवायद जारी रहती है। आनन-फानन में छात्र-शिक्षक के अनुपात को ठीक करने के लिए अल्प वेतन पर अप्रशिक्षित शिक्षक को भर्ती करना भी समस्या है।

इकोनोमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली में इस संदर्भ में हमें संवेदनशील तरीके से सोचने की बात कही गई है। एक शिक्षक ने बताया, "परीक्षा में एक बच्चे को नकल नहीं करने दिया गया इसलिए वह बाहर बाज़ार में अपने कई मित्रों के साथ मुझे पीटने के लिए घेरे खड़ा था। मैं क्या करता खुद माफी माँगी। अगर अगली बार से मुझे इस प्रकार कि कोई गतिविधि में लगाया जाएगा तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी आँखें बंद नहीं कर लूँगा।" शिक्षा व्यवस्था में यह कहाँ तक जायज नहीं है कि परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को खंडित होने दें। एक शिक्षक ने यह भी कहा कि शिक्षा अधिकार कानून, 2009 और एन.सी.एफ. 2005 के रचनावादी उपागम में सुगमकर्ता रूप में बच्चों को कुछ विशेष कहने की असमर्थता खड़ी हो जाती है। तब ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि शिक्षक सुरक्षित तरीका निकालने की कोशिश करता है। स्कूल में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं इन बातों में इनकी रुचि खत्म होने लगती है। ऐसे में जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनका नुकसानहोना संभव है। अतः इस व्यापक खतरे का मुकाबला एकतरफा कानून बनाकर नहीं संभव है। समस्या उत्पन्न करने वाले बच्चों के मनोसामाजिक संदर्भ को भी समझने की आवश्यकता होगी। हमें बहुस्तरीय और बहुआयामी रूप से व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं पहल करने की आवश्यकता होगी। लोगों के बीच ऐसे माहौल बनाकर मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

वैश्विक विमर्श

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री (AACAP) के 2014 के रिपोर्ट में शारीरिक दंड का विरोध करते हुए इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाये जाने का समर्थन किया है। रिपोर्ट में इसकी नकारात्मकता को देखते हुए, अनुशासन को आत्म-नियंत्रण के रूप में बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ताकि, अवांछनीय व्यवहारों को समाप्त करते हुए बच्चों में वांछित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए स्कूलों में अनुचित व्यवहार को समायोजित करने के लिए स्कूल व्यापी सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन जैसे अहिंसक तरीकों की सिफ़ारिश आवश्यक होगी। जबकि इसके विपरीत शारीरिक दंड बच्चों को यह संकेत देता है कि वह भी पारस्परिक

© NCERT not to be republished

संघर्षों को निपटाने के लिए शारीरिक बल के इस्तेमाल की बात सोचें।

इस संदर्भ में हॉवर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ एजुकेशन के पीएच.डी. शोधार्थी जॉर्ज क्यूआर्टस ने 2019 के कोलंबिया कांग्रेस में बच्चों पर शारीरिक दंड के प्रतिकूल प्रभाव (जैसे— अवसाद, असामाजिक व्यवहार एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ) का जब खुलासा किया तो एक साथ कई देशों ने ऐसे दंड पर प्रतिबंध लगा दिए। इनकी हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर केटी मैकलॉघलिन के साथ मिलकर बच्चे के मस्तिष्क पर शारीरिक दंड के न्यूरोबायोलॉजिकल प्रभाव से संबधित एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आश्चर्यजनक तथ्य निकला कि शारीरिक दंड से मस्तिष्क का एक हिस्सा उसी रूप में प्रभावित होता है जिस रूप में शारीरिक और यौन शोषण से। कोलंबिया विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर फ़ॉर द पॉवर्टी इन चिल्ड्रन के मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ थॉम्पसन गेर्शॉफ़, शारीरिक दंड का प्रभाव बच्चों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखते हैं। उनके शोध और टिप्पणियों को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) द्वारा प्रकाशित मनोवैज्ञानिक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है।

बाल अधिकार पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन (यूनाइटेड नेशन, 1989) में बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा से रक्षा को मूल अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में वैश्विक सतत विकास से संबधित 17 सूत्रीय सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य 16 के तहत बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों (SDG 16.2) को 2030 तक समाप्त करने का एजेंडा तय किया गया। इसकी पृष्ठभूमि में कई सारे चौकाने वाले तथ्यों को रेखांकित किया गया है। बच्चों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप जारी हैं। 83 देशों में (ज़्यादातर विकासशील क्षेत्रों से) इस विषय पर हाल के आँकड़ों के साथ 1 से 14 साल के 10 बच्चों में से लगभग 8 बच्चों को किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक आक्रामकता या शारीरिक सजा के अधीन किया गया था।

आमसभा (UN) के संकल्प (71/176) में किए गए आग्रह पर, इसके 73 वें सत्र के प्रोविजनल एजेंडा 70 (a) के रूप में बच्चों के अधिकार की रक्षा एवं विस्तार के लिए सेक्रेटरी जनरल ने रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में इसके सदस्य देशों एवं हितधारकों द्वारा भययुक्त माहौल एवं इसका बच्चों के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव और इसकी रोकथाम के संदर्भ में किए गए पहल का उल्लेख हुआ है। विद्यालय का असुरक्षित एवं भययुक्त वातावरण बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने का सामान्य कारण बन गया है (यूनेस्को स्कूल वायलेंस एंड बुल्लिंग— ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, पेरिस, 2017, पृष्ठ 30)। रिपोर्ट यह यह भी बताती है कि विद्यालयी हिंसा और धमकी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय अधिगम आकलन यह स्पष्ट दर्शाता है कि इससे बच्चों का प्रदर्शन घट जाता है। इस संदर्भ में भारत, पेरु और वियतनाम से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विद्यालय में शिक्षकों एवं दूसरे छात्रों द्वारा अपशब्द कहना या शारीरिक हिंसा विद्यालय के प्रति अरुचि, परीक्षा प्रदर्शन एवं आत्म सम्मान में गिरावट का सामान्य कारण है। इस रिपोर्ट में विविध प्रकार के खतरों एवं हिंसा की प्रकृति तथा क्षेत्र की पहचान इस संदर्भ में एक साथ मिलकर काम

© NCERT not to be republished

करते हुए इसे वैश्विक विमर्श बनाने की बात कही गई। साथ ही बच्चों को भयपूर्ण वातावरण से बचाव के उपाय सुझाने होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल के क्षेत्र में भी भय एवं चुप्पी को तोड़ने में शिक्षकों को अपनी भूमिका एवं स्वभाव से सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करनी होगी।

भारत में कॉर्पोरल पनिशमेंट की रोकथाम के उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने कॉर्पोरल पनिशमेंट को विद्यालय से बाहर कर देने की बात थी। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मात्र 17 राज्यों ने उसके इस प्रावधान को मान्यता दी। 1989 में बालकों के अधिकार सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र के अनुच्छेद 28(2) के अनुसार— समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करे कि बच्चे की मानवीय गरिमा को इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप मानते हुए मान्यता दे। (यूएनओ 1989)।

संसद ने बाल अधिकार संरक्षण कानून, 2005 (CPCR) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कमीशन (अध्याय 2, एनसीपीसीआर) एवं राज्य कमीशन (अध्याय 4, एससीपीसीआर) तथा चिल्ड्रेन्स कोर्ट (अध्याय 5) की स्थापना की बात की जिसका आधार 1990 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असंबेली के आम सभा सम्मलेन में बच्चों की सुरक्षा, उत्तरजीविता और विकास के लिए की गई घोषणा थी। साथ ही, 1992 के कन्वेन्शन ऑन द राईट ऑफ़ चाइल्ड (CRC) एवं सरकार द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा के लिए अपनाया गया 2003 का नेशनल चार्टर जैसी प्रमुख पहल से संबंधित था। 2007 में आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट के सभी रूपों से बचाया जाए। आयोग ने कहा कि सभी विद्यालयों, शेल्टर होम, जुवेनाइल होम्स आदि में दंड का निषेध किया जाए तथा इन जगहों पर एक शिकायत पेटिका रख दी जाए जिससे बच्चे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकें (एनसीपीसीआर 2007)। हाल में आयोग ने विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षा एवं सलामती पर नियमावली, हस्तपुस्तिका तैयार करायी है एवं व्यापक जागरूकता के लिए कार्यशालाएँ भी की हैं। ताकि बच्चों के हितों से जुड़े अधिकार, सुरक्षा एवं बेहतर देखभाल के विविध प्रावधानों से संबंधित विद्यालयों, विभागों, बोर्डो एवं विभिन्न स्थल परिचित हो सके। भारत में, 2005 में विद्यालयों में शारीरिक दंड के निषेध और उन्मूलन को बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना में प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया था (यूनेस्को, 2017)।

वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून बन जाने के बाद अब कॉर्पोरल पनिशमेंट आपराधिक कृत्य है। आरटीई भाग 4, धारा 17 सुनिश्चित करता है कि—

1. किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2. जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति चर लागू नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

यह कानून बच्चों को भयमुक्त, चितांमुक्त, मानसिक अभिघात एवं उसे स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद देगा। भाग-8, धारा 31 में बाल अधिकारों का संरक्षण रूपी उपबंध भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष संबंधित परिवादों को प्रस्तुत करने की बात भी

© NCERT not to be republished

इसमें की गई है। शारीरिक दंड रोकने के लिए भारत में कई अपराध दंड संहिताएँ, द जुवेनाइल जस्टिस (केअर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट (2000, संशोधित 2006) ने जुवेनाइल और बच्चों के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट को निषेध किया है। इसने अपने दायरे में माता, पिता, अभिभावक व अध्यापक को भी शामिल किया है। पर अकसर इस तरह के प्रावधानों में बच्चे के भले के लिए दंड की बात कहकर लोग बचने का प्रयास करते हैं।

शिक्षकों द्वारा वैसे बच्चों एवं किशोरों को ज़्यादातर सजा दी जाता है जो प्रायः उपेक्षित और हाशिये वाले वर्ग से होते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे शरणार्थी एवं प्रवासी होते हैं, जो निर्देश की भाषा बोलने में सक्षम न होने के कारण दण्डित किये जाते हैं। भारत में बच्चों के प्रति हिंसा के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि उच्च जाति के शिक्षक प्रायः निम्न जाति के बच्चों को अपमानित एवं अयोग्य ठहराते हैं। इसी प्रकार की बात मानवाधिकार संबंधित रिपोर्ट, 2014 में कही गयी कि चार भारतीय राज्यों में विद्यालय प्रशासन द्वारा भेदभाव और शारीरिक हिंसा की घटना प्रायः दलित, मुस्लिम और आदिवासी बच्चों के साथ घटित होती हैं। इसी प्रकार के जोखिम से सुरक्षा के मद्देनजर लडकियों के अभिभावक उनका विद्यालय छुड़वा देते हैं (यूनेस्को, 2017)।

यूनिसेफ़ ने भारत में बच्चों के कॉर्पोरल पनिशमेंट पर मार्च, 2020 में अपनी अद्यतन रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत के विभिन्न विद्यालयों, डे केयर केंद्रों, वैकल्पिक देखभाल स्थलों, घरों या परंपरागत न्याय सिद्धांत एवं किसी भी रूप में दंड या हिंसा को पूर्णत: निषेध के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार की बात कही है।

निष्कर्ष

शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का मसला सिर्फ़ बच्चों के शरीर पर निशान तक सीमित नहीं है। यह वस्तुतः बच्चे के मन को भी चोट पहुँचाता है। बचपन में जिन बच्चों की बार- बार शारीरिक दंड दिया जाता है वे बड़े होकर किशोरावस्था में एकाकी व अलगाव का जीवन जीने लगते हैं, उनमें से कई अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं और कई जीवन से बुरी तरह ऊब जाते हैं (मैक्कार्ड1995)। इस संदर्भ में व्यापक विमर्शों, शोधों, कानूनों एवं बच्चों ने चर्चा में कॉर्पोरल पनिशमेंट को सिरे से ख़ारिज करने की आवाज़ बुलंद की। साथ ही इस संदर्भ में शिक्षकों के दलीलों को पूर्णत: खारिज़ नहीं किया जा सकता। तब कॉर्पोरल पनिशमेंट संबंधित संशोधित नीति में सकारात्मक उत्प्रेरण के लिए कार्पोरल पनिशमेंट की जगह किसी अन्य प्रकार के स्वस्थ अनुशासन के तरीके अपनाने की आवश्यकता होगी। बच्चों को सुरक्षा, विश्वास, स्थायित्व प्रदान कर ही उनमें अनुशासन के कौशल को विकसित किया जा सकता है (अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स, 2018)।

तभी शिक्षा के अधिकार को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से मुक्त करते हुए बच्चे के भावी उन्नत भविष्य का निर्माणकर्ता रूप में उसके मानवीय गरिमा व उसकी अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस व्यापकता को देखते हुए इसे मात्र एकतरफा कानून बनाकर केवल शिक्षकों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए इसके हितधारकों को एक साथ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक जागरूकता एवं पहल करने की ज़रुरत होगी। साथ ही, लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री. 2014. रिपोर्ट https://www.aacap.org/ पर देखा गया।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स. 2018 https://www.verywellfamily.com/facts-about-corporal-punishment-1094806 पर देखा गया।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. 2002. *मनोवैज्ञानिक बुलेटिन* https://www.apa.org/news/press/releases/2002/06/spanking पर देखा गया।

एरिक्सन, ए. 1980. *आइडेंटिटी एंड लाइफ़ साईकल*. न्यूयॉर्क नोर्टन.

क्यूआर्टस, जॉर्ज. 2019. कोलंबिया कांग्रेस. हॉवर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ एजुकेशन https://www.gse.harvard.edu/news/19/12/consequences-corporal-punishment पर देखा गया।

कैथलीन. 2016. सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड: ए जॅर्नी टू एंड वॉयलेंस एगेंस्ट चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन, नैरोबी https://violenceagainstchildren.un.org/news/celebrating-childhood-journey-end-violence-against-children पर देखा गया।

जोशी, राजेश (संपा.). 2001. *नागार्जुन रचना संचयन*. साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली.

नवभारत टाइम्स.17 सितंबर. 2017. https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other- news/reality-of-existing-law-for-the-protection-of-schoolchildren/articleshow/60713321.cms पर देखा गया।

नवानी, दिशा. 2013. कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स. *इकोनोमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLVIII, नं. 24, पृष्ठ संख्या 23–26. https://www.jstor.org/stable/23527386 पर देखा गया।

पंजाब केसरी. 11 जुलाई. 2019. https://punjab.punjabkesari.in/khanna/news/beaten-dumb-child-by-teacher-1078787 पर देखा गया।

फ्रायड, सिग्मंड. 1919. ए चाइल्ड इज़ बीइंग बीटेन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सॉइकोएनालिसिस*.

फ़्रेरे, पाउलो. 1996. *उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र* (अनुवादक, रमेश उपाध्याय). ग्रंथ शिल्पी, नयी दिल्ली.

———.1973. *एजुकेशन फ़ॉर क्रिटिकल कॉन्शस्नेस*. सीबुरी प्रेस, न्यूयार्क.

बैण्डुरा, ए. 1971. सोशल लर्निंग थ्योरी. जनरल लर्निंग प्रेस, न्यूयॉर्क.

बैरेट, एम. और बारो बुकानन ई. (संपा.). 2005. *चिल्ड्रेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ सोसाइटी*. सॉइकोलॉजी प्रेस, न्यूयॉर्क.

भारत सरकार. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

———.2005. द *कमीशंस फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट एक्ट*. मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———.2009. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम*, 2009. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

मैक्कोर्ड, जे. (संपा.). 1995. *कॉर्पोरल पनिशमेंट इन लॉन्ग पर्सपेक्टिव*. सी.यू.पी., न्यूयॉर्क.

यूनाइटेड नेशन. 2019. *सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल (एस.डी.जी.)* — 16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 पर देखा गया।

© NCERT not to be republished

———.2018. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बुल्लिंग: रिपोर्ट ऑफ़ द सक्रेटरी जनरल — 71/176 https://undocs.org/A/73/265 पर देखा गया।

———.1989. कंवेंशन ऑन द राईट्स ऑफ़ चॉइल्ड — 44/25 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx पर देखा गया।

यूनेस्को. 2017. *स्कूल वॉयलेंस एंड बुल्लिंग: ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970 पर देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली .

स्ट्रॉस. एम.ए. 1994. बीटिंग दी डेविल आउट ऑफ़ देम : कॉर्पोरल पनिशमेंट इन अमेरिकन फैमिलीज़. लेक्सिंग्टन, न्यूयार्क.

© NCERT not to be republished